

॥ १/२५

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवेजें लगाईं जाने के बावजूद प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़सल सुमार होकर नंबर से कम है।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली